ISBN : 978-81951728-5-6

वर्तमान समाज में महिला उत्पीड़न

डॉ0 शकीला नकवी
सह आचार्य
राजनीति विज्ञान विभाग
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
टोंक राजस्थान, भारत

सारांश

वैदिक कालीन सशक्त नारी पर 21 वीं सदी में भी उत्पीड़न बढ़ता ही जा रहा है। संविधान के अनेक अनुच्छेदों एवं सैकड़ो कानूनों की व्यवस्था होने पर भी महिला उत्पीड़न कम नहीं हो रहा है। कम्प्यूटर युग में महिला शोषण के नये-नये तरीके ईजाद हो गए है। आवश्यकता है कि महिला को केवल कानूनी ही नहीं वरन् शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक और मानसिक रूप से भी सशक्त होना पड़ेगा तभी महिला उत्पीड़न रूक सकेगा।

मुख्य शब्द

ईजाद, उत्पीड़न, उद्देश्य, ट्रेड यूनियन, दर्शाता, शोषण, भागीदार, नाममात्र, अलगाववाद, नियुक्त, भेदभाव।

अध्ययन का उद्देश्य

समाज में महिला उत्पीड़न को उजागर करना तथा सविंधान एवं क़ानूनी सम्बन्धी जागरूकता उत्पन्न करना।

प्रस्तावना

स्वामी विवेकानन्द ने कहा है कि हम प्राचीन भारत की नारियों को आदर्श मानकर ही नारी का उत्थान और सशक्तिकरण कर सकते है। गार्गी, मैत्रेयी, अपाला, घोषा जैसी विदुषियां वैदिक युग की देन हैं। भारतीय सामाजिक व्यवस्था में महिलाओं

ISBN : 978-81951728-5-6

को सम्पत्ति, ज्ञान और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। महिला को पुरूष की अर्द्धांगिनी समझा जाता है। वैदिक समाज में कन्या को भी पुत्रवत् स्नेह एवं आदर प्राप्त था।[1] पी.एन. प्रभु ने "हिन्दु सोशल आर्गनाइजेशन" मे लिखा है कि जहाँ तक शिक्षा का संबंध था स्त्री पुरूषों में कोई भेद नहीं था और इस युग में दोनों की सामाजिक स्थिति समान रूप से महत्वपूर्ण थी।[2] उत्तर वैदिक काल में भी महिलाओं को सम्मानजनक स्थान प्राप्त था। किन्तु महाकाव्य युगीन समाज में महिला का स्थान धीरे-धीरे परिवर्तित होने लगा।[3]

धर्मशास्त्र काल में स्त्रियों की स्थिति में अत्यधिक गिरावट आने लगी। उसे सेविका और एक वस्तु माना जाने लगा। उसे निर्बल, परतंत्र व पराधीन समझा जाने लगा।[4]

मध्यकाल में स्त्रियाँ पहले की अपेक्षा निरन्तर पतनोन्मुख थी। महिलाएँ अपने अस्तित्व के लिए पूर्णतया पुरूषों पर निर्भर हो गई।[5]

ब्रिटिश काल में भी व्यावहारिक रूप से महिलाओं की स्थिति निरन्तर गिरती गई। सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक, धार्मिक एवं राजनीतिक इत्यादि सभी क्षेत्रों में वह अत्यधिक पिछड़ती गई। 1919 के पश्चात् कुछ महिलाओं ने राजनीति में भाग लिया किन्तु कुलीन परिवारों ने इसका विरोध किया।[6]

स्वतंत्रता के पश्चात् महिला की स्थिति

भारत में स्वतंत्रता के पश्चात महिलाओं की स्थिति में क्रांतिकारी परिवर्तन होने लगे। डॉ. श्रीनिवास के अनुसार पश्चिमीकरण, लौकिकीकरण, औद्योगीकरण, जातीय गतिशीलता, शिक्षा प्रसार, संचार के साधनों, समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं में वृद्धि, संयुक्त परिवारों का विघटन एवं सामाजिक अधिनियमों के प्रभाव से स्त्रियों की स्थिति में सुधार होना प्रारंभ हो गया।[7]

हेमंत कुमारी चैधरानी, सरोजिनी नायडू, सुभद्रा कुमारी चैहान एवं महादेवी

ISBN : 978-81951728-5-6

वर्मा शिक्षा के क्षेत्र में, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्रीमती प्रतिभा पाटिल, श्रीमती सरोजिनी नायडू, रानी लक्ष्मीबाई, रजिया सुलतान, भीखा बाई कामा, एनीबिसेन्ट, ममता बनर्जी, जयललिता, वसुन्धरा राजे, सुमित्रा, मीरा कुमार इत्यादि राजनीतिक क्षेत्र में, सेना, डॉ., वकील, इंजिनियर, शिक्षक, अंतरिक्ष, वैज्ञानिक, विमान चालक, एयर होस्टेस, पत्रकार, रिसेप्सनिस्ट, सेल्सगर्ल, प्रशासक, राजनीतिज्ञ, फैशन मॉडल्स आदि अनेक क्षेत्रों में महिला अपने नाम एवं काम का परचम फहरा रही है।

इसका कारण हैं कि भारतीय संविधान में प्रत्येक स्थान पर नारी को पुरूष के समान दर्जा दिया गया है। मौलिक अधिकारों, नीति निदेशक तत्वों एवं अनेक अनुच्छेदों में महिला अधिकारों पर बल दिया हैं।

भारतीय संविधान में महिला सशक्तिकरण संबंधित अनुच्छेद

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 39 और 42 महिला सुरक्षा और महिला विकास की बात करता हैं। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष महिलाओं को समानता का अधिकार देता है। यह अनुच्छेद राज्यों को महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक प्रावधान करने को भी कहता है। अनुच्छेद 15(1) में कहा गया है कि राज्य किसी भी नागरिक से धर्म, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के नाम पर भेदभाव नहीं करेगा।[8]

अनुच्छेद15(2) में कोई भी नागरिक धर्म, जाति, वर्ण, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर अन्य नागरिक को अयोग्य घोषित नहीं करेगा और प्रतिबंध नहीं लगायेगा।

(अ) दुकान, सार्वजनिक रेस्टोरेण्ट, होटल और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों पर कोई भी नागरिक अन्य नागरिको से भेद भाव नही करता।

(ब) कुओं, टैंको, स्नानघरों, सड़कों और पब्लिक रिसोर्ट के स्थानों को राज्य पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से सहायता देगा और भेदभाव रोकेगा।

ISBN : 978-81951728-5-6

अनुच्छेद 15(3) में महिला और बच्चों के पक्ष में विशेष प्रावधान करने को कहा गया है। महिलाओं के लिए आरक्षण और बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था इस उपबंध में है।

अनुच्छेद 15(4) की धारा और धारा 29 (2) में राज्य को सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गो या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की भलाई के लिए विशेष प्रावधान करने से नहीं रोका जायेगा अर्थात राज्य को उनकी भलाई के लिए कार्य करने को कहा गया है।

हम देखते हैं कि महिला को संविधान में न केवल समानता बल्कि विशेष सुविधाएँ भी दी गई है। महिला संविधान एवं अन्य कानूनों के द्वारा देश के नागरिकों को प्राप्त संरक्षण एवं लाभों की समान रूप से हकदार है। अपितु उसकी विशेष स्थिति और आवश्यकताओं को देखते हुए उसके लिए विशेष प्रावधान भी किए गये।

अनुच्छेद 16 में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता की बात की गई।

अनुच्छेद 19(1) में स्त्री, पुरूष दोनों को समान रूप से अभिव्यक्ति की स्वंतत्रता दी गई है।9 महिला स्वतंत्र रूप से भारत के क्षेत्र में आवागमन, निवास और व्यवसाय कर सकती है। स्त्रीलिंग होने के कारण किसी भी कार्य से उसको वंचित करना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना गया।

अनुच्छेद 21 में स्त्री व पुरूष दोनों को प्राण व दैहिक स्वाधीनता से वंचित न करने की बात कही हैं।[10]

अनुच्छेद 23 एवं 24 में शोषण के विरूद्ध अधिकार दोनों को समान रूप से प्राप्त है। यह अधिकार स्त्रियों और बच्चों का अनैतिक व्यापार, दास प्रथा और बंधुआ मजदूरी को प्रतिबंधित करता है।

अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता स्त्री व पुरूष दोनों को समान रूप से

ISBN : 978-81951728-5-6

प्रदान करता है।[11]

अनुच्छेद 29 और 30 शिक्षा व संस्कृति का अधिकार दोनों को प्रदत्त करता है।

अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों की अधिकार दोनों को उपलब्ध कराता है।

अनुच्छेद 39(क) के अनुसार राज्य अपनी नीति का इस प्रकार संचालन करेगा कि पुरूष एवं स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है।

अनुच्छेद 39(घ) में पुरूष एवं स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार है।

अनुच्छेद 39(ड.) में ऐसी व्यवस्था हैं कि पुरूष एवं स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरूपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकता में विवश होकर ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े जो उनकी आयु और शक्ति के अनुकुल ना हों।

अनुच्छेद 40 में पंचायती राज संस्थाओं में 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से आरक्षण की व्यवस्था की गई है। 73वें संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के तीनों चरणों पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला परिषद में महिलाओं के 33 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है। 74वें संविधान संशोधन में नगर पालिका में भी 33 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है।[2]

अनुच्छेइ 41 में बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और अन्य अनर्ह अभाव की दशाओं में सहायता पाने का अधिकार है।

अनुच्छेद 42 में राज्य काम को न्याय संगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए और महिलओं के लिए प्रसूति सहायता प्राप्ति की व्यवस्था

ISBN : 978-81951728-5-6

की गई है।

अनुच्छेद 47 में पोषाहार, जीवन स्तर व लोक स्वास्थ्य में सुधार करना सरकार का दायित्व है।

अनुच्छेद 51(क)(ड.) में लिखा है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य है कि ऐसी प्रथाओं को त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरूद्ध हों।[3]

अनुच्छेद 33(क) में प्रस्तावित 84 वें संविधान संशोधन के माध्यम से लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है।14

अनुच्छेद 332(क) में प्रस्तावित 84 वें संविधान संशोधन के द्वारा राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है।[5]

संविधान के भाग चार में राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों में महिलाओं के लिए कई विशेष उपबंध किये गये है।[16]

अनुच्छेद 325 निर्वाचक नामावली मे महिला और पुरूष दोनों के समान रूप से सम्मिलित होने का अधिकार देता है। समान मतदान का अधिकार दिया है।

अनुच्छेद 21 प्राण, दैहिक स्वतंत्रता और संरक्षण से संबंधित है। किसी भी व्यक्ति के उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से कानून द्वारा सीमित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जायेगा। यह अधिकार सभी अधिकारों में सर्वश्रेष्ठ है। यह विधायिका और कार्यपालिका दोनों के विरूद्ध संरक्षण प्रदान करता है।[17]

उच्चत्तम न्यायालय ने इस अधिकार की विस्तृत व्याख्या की है। उन्होंने दैहिक स्वतंत्रता में वे सभी तत्व सम्मिलित किए हैं जो व्यक्ति को पूर्ण बनाने में सहायक है। यह अनुच्छेद व्यक्ति को उसके निजी जीवन में किसी भी प्रकार के अप्राधिकृत हस्तक्षेप एवं मनोवैज्ञानिक अवरोधों के विरूद्ध संरक्षण प्रदान करता है। प्राण का अर्थ केवल जीवन ही नहीं है, अपितु सीमाओं और सुविधाओं तक फैला है जिनके द्वारा जीवन का उपभोग किया जा सकता है। यह अनुच्छेद शरीर के अंग भंग

ISBN : 978-81951728-5-6

का भी निषेध करता है।

महिला सशक्तिकरण हेतु अधिनियम के सूत्र

महिला सुरक्षा के लिए 1956 से अब तक दहेज, घरेलू हिंसा, कार्य स्थल पर हिंसा, यौन हिंसा इत्यादि से संबंधित 50 से भी अधिक कानून बन चुकें है।

भारतीय दंड सहिता मे महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों अर्थात् हत्या, आत्महत्या के लिए उकसाना, दहेज, मृत्यु, बलात्कार, एवं अपहरण आदि को रोकने का प्रावधान है। इसके उल्लंघन पर गिरफ्तारी एवं न्यायिक दण्ड व्यवस्था का उल्लेख किया गया है।

महिला सशक्तिकरण संबंधी प्रमुख कानून

सती प्रथा निषेध अधिनियम 1829

महान समाज सुधारक राजाराम मोहन राय के अथक प्रयासों से ब्रिटिश सरकार ने सती प्रथा निषेध अधिनियम पारित किया। भारत सरकार ने 1987 में सती प्रथा निषेध अधिनियम पारित किया।[18]

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956

इसमें महिलाओं को पिता की जायदाद में हिस्सा दिया गया। इस अधिनियम मे मृतक के उत्तराधिकारियों को अलग-अलग श्रेणियों में बांटा गया है। 2005 में इसमें संशोधन किया गया कि संपत्ति के मामले में पुत्रियों को भी बराबर का हक प्रदान किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने भी स्पष्ट किया कि हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम के तहत 9 सितम्बर 2005 को जीवित कर्ताओ की जीवित पुत्रियों को सम्पत्ति में हिस्सा लेने का अधिकार है। इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता कि ऐसी पुत्रियों का जन्म कब हुआ।[19]

न्यूनतम मजदूरी कानून 1948 में पारित किया गया

इस कानून के द्वारा कुशल और अकुशल श्रमिकों को दी जाने वाली

ISBN : 978-81951728-5-6

मजदूरी का निर्धारण होता है यह अधिनियम सरकार को प्राधिकृत करता है कि विनिर्दिष्ट रोज़गारों में काम कर रहे कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करें। इसमें उपयुक्त अन्तरालों और अधिकतम पाँच वर्ष के अन्तराल पर पहले से निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की समीक्षा करने और उनमें संशोधन करने का प्रस्ताव है।

दहेज निषेध अधिनियम 1961

महिला को दहेज जैसे सामाजिक अभिशाप से बचाने के उद्देश्य से पारित किया। 1986 में इसे संशोधित कर समय के अनुरूप एवं व्यावहारिक बनाया।

प्रसूति हित लाभ अधिनियम, 1961

इस कानून से मातृत्व के समय महिला के रोजगार की रक्षा होती है। यह एक माँ को अपने बच्चे की देखभाल करने के लिए पूरे भुगतान के साथ उसे काम से अनुपस्थित रहने की सुविधा देता है। 2017 में इस अधिनियम में संशोधन किए गए। इसके तहत् कामकाजी महिलाओं को दो बच्चों के लिए मातृत्व लाभ की सुविधा 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह और 2 से अधिक बच्चों के लिए 12 सप्ताह की गई हैं। 'कमिशनिंग मदर' और 'एडाप्टिंग मदर' को 12 सप्ताह का मातृत्व लाभ मिलेगा और घर से काम करने की सुविधा दी गई। इसके साथ ही 50 या अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में क्रेच का अनिवार्य प्रावधान किया गया है।

महिला अपने बच्चे की उम्र 18 वर्ष होने तक 2 वर्ष तक की बाल देखभाल अवकाश ले सकती है।

पहले गर्भावस्था में मादा भ्रूण को नष्ट कर दिया जाता था। लिंग परीक्षण को रोकने प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994 क्रियान्वित किया गया। इसका उल्लंघन करने वाले को 10-15 हजार का रूपये का जुर्माना तथा 3-5 साल की सजा का प्रावधान किया गया।

भारतीय दंड सहिता कानून महिलाओं को सुरक्षा देता है जिसमें वे समाज

ISBN : 978-81951728-5-6

में घटित होने वाले अपराधों से सुरक्षित रह सकें।

भारतीय दंड सहिता 1973 में महिलओं को संरक्षण प्रदान करने की व्यवस्था है।

इंडियन पैनल कोड 1972 में महिला उत्पीड़न और शोषण पर दण्ड का प्रावधान है।

बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया।

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 160 के अन्तर्गत प्रावधान है कि पुलिस अधिकारी किसी मामले में गवाही देने के लिए किसी महिला या बच्चे को थाने में नहीं बुला सकता है, बल्कि उसके निवास स्थान पर जाकर बयान दर्ज करेगा।

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 में महिलाओं को गवाही के लिए थाने में बुलाना, अपराध घटित होने पर उन्हें गिरफ्तार करना, महिला की तलाशी लेना और उसके घर की तलाशी लेना आदि पुलिस प्रक्रियाओं को इस संहिता में वर्णित किया गया है।

1970 में ठेका श्रम अधिनियम में यह प्रावधान है कि महिलाओं से एक दिन में मात्र 9 घंटे ही कार्य लिया जाये।

अनुच्छेद 39(घ) को लागू करने के लिए समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 पारित किया गया।

1979 में अंतर्राज्कीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम के अन्तर्गत विशेष नियोजनों में महिला कर्मचारियों के लिए पृथक शौचालय एवं स्नानगृहों की व्यवस्था करना अनिवार्य कर दिया गया।

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 294, 304, 306, 313, 314, 315, 316, 318, 354, 363, 364, 366, 371, 372, 373, 376, 405, 406 इत्यादि अनगिनत धाराओं में स्त्री सुरक्षा से संबंधित प्रवाधानों की विस्तार से व्याख्या की गई

ISBN : 978-81951728-5-6

है।

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में अधिनियम की परिभाषा, महिलाओं के प्रति की जाने वाली विभिन्न हिंसा के प्रकारों एवं समाधान का विस्तार से विवेचन किया गया।[20]

13 अगस्त, 1997 को सुप्रीम कोर्ट ने महिला कर्मचारियों की सुरक्षा पर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया और कार्यस्थल में यौन उत्पीड़न से संबंधित दिशा-निर्देश जारी किए।[21]

23 अप्रेल, 2013 को कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) कानून एक ऐतिहासिक कानून है। यह 9 अध्यायों में विभक्त है।22 यह अधिनियम महिला सुरक्षा से संबंधित विभिन्न पहुलओं की विस्तारपूर्ण व्याख्याता करता है और महिला को एक नागरिक के रूप में समान, सुरक्षित और निरापद वातावरण में कोई भी व्यवसाय या कार्य करने का संवैधानिक अधिकार देता है। इस कानून के लागू होने से विभिन्न कार्यो में महिलाओं की सकारात्मक भागीदारी बढ़ी है।

दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016, मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 2017 इत्यादि अनेक अधिनियम महिला को पुरूष के समान सुरक्षा देते है।

व्यावहारिक रूप में महिला की स्थिति-महिला उत्पीड़न

संविधान में महिला संबंधी अनेक प्रावधानों एवं अनेक कानूनों से ऐसा लगता है कि महिला सशक्त है, किन्तु ये केवल सैद्धातिक रूप से ही है। व्यावहारिक रूप में वह सशक्त नहीं है। वह समाज के अनेक क्षेत्रों में उत्पीड़न की शिकार है। 21वीं सदी में उत्पीड़न रूका नहीं है। अनेक कानून होने के बावजूद उत्पीड़न के कुछ केस दिल दहलाने वाले होते है। वे दहेज हत्या, तेजाब की शिकार, कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह, घरेलू हिंसा, सार्वजनिक अत्याचार, कभी डायन, चुड़ैल के नाम पर

ISBN : 978-81951728-5-6

हत्या, बलात्कार, यौन शोषण, ससुराल में मारपीट, मौखिक-भावनात्मक हिंसा, आर्थिक हिंसा, शारीरिक हिंसा, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न।

जब भी कभी वह परम्परागत लीक से हटकर कार्य करना चाहती हैं उसका जोरदार शोषण होता है। पाकिस्तान में महिला पत्रकार के कपड़े फाड़े गए।[23] अफगानिस्तान-तालिबान निरन्तर पर्दाविहिन औरतों पर अत्याचार कर रहा है। एक महिला की नाक काट दी।[24]

भारत प्रारंभ से पितृसत्तात्मक परिवार का पोषक रहा है। यहाँ महिलाओं का दूसरे दर्जे का नागरिक माना जाता है।[25]

संयुक्त राष्ट्र संघ के आंकड़े

स्त्री विश्व के दो तिहाई कार्य करती है तथा विश्व की कमाई की one tenth स्त्री कमाती है। फिर भी विश्व की अशिक्षा में दो तिहाई स्त्रियाँ है। विश्व सम्पति में 100वें भाग से भी कम नारी के हिस्से में हैं। सन् 2001 में महिला सशक्तिकरण वर्ष मनाया गया जिसमें भारत में नारी की स्थिति के संबंध में कुछ चैकाने वाले तथ्य -

1. प्रत्येक 26 मिनट में स्त्री को स्त्री होने की वजह से प्रताड़ित किया जाता है।
2. प्रत्येक 24 मिनट में एक बलात्कार हो जाता है।
3. प्रत्येक घंटे में एक महिला दहेज के कारण जलाकर मार दी जाती है।
4. सेक्सुअल प्रताड़ना के बारे में NCW के अध्ययन में यह बात खुलकर सामने आई है कि शारीरिक रूप से हिंसा 25% ए कार्यस्थल पर हिंसा 50% ए मानसिक हिंसा 68% तथा अवचेतन रूप में हिंसा 85% होती है।

15वीं जनगणना 2011 के आंकड़े बताते हैं कि राजधानी दिल्ली एवं उसके निकटवर्ती राज्यों हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उतराखंड तथा जम्मू-कश्मीर आदि राज्यों में 1000 लड़को की तुलना में लड़कियों

ISBN : 978-81951728-5-6

की संख्या 900 से भी कम है। पंजाब में यह संख्या 846 तथा हरियाणा में सबसे कम 830 लड़कियां दर्शाई गई है।

1998 संयुक्त राष्ट्र विश्व जनसंख्या परिदृश्य इस प्रकार है-

1. विश्व 986
2. भारत 933
3. राजस्थान 883

टोंक 882

1. 2001 जनगणना के कुछ तथ्य
2. शिक्षा के मामले में (केरल के अलावा)

पुरूष 75.85% एवम नारी 54.16%

स्कूल छोड़ने के मामले में (1-VIII)

लड़के 46%, लड़किया 54%

भारत में दर्ज बलात्कार के प्रकरण 1989 में 8559 थे, जो 2002 में बढ़कर 16827 हो गए। बाल बलात्कार प्रकरण 1993 में 3393 थे, जो 2002 में 5452 बढ़ गए।[26]

पुरूषों के मुकाबले महिला साक्षरता की स्थिति देखें तो 1951 में जहाँ 27.16% पुरूष साक्षर थे वहाँ महिलाओं में साक्षरता केवल 8.86% ही थी। 2001 में जहाँ पुरूष 75.85% साक्षर थे, वहीं महिलाओं की साक्षरता दर 54.16% ही रही।[27]

महिलाओं में साक्षरता दर

वर्ष	साक्षरता प्रतिशत	वर्ष	साक्षरता प्रतिशत
1951	8.86	1981	29.76
1961	15.36	1991	39.29
1971	21.97	2001	54.16

ISBN : 978-81951728-5-6

संसद में महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है। 1952 में लोकसभा में 4.4% तो राज्यसभा में 7.31% थी जो 1999 में लोकसभा में महिला सांसदो का केवल 8.1% थी तो राज्यसभा में इनकी स्थिति 9% थी। 2004 में महिला सांसद 9.2% थे।28 टेबिल महिलाओं की निम्न स्थिति दर्शाती हैं-

लोकसभा एवं राज्यसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व

Lok Sabha	Seats	Women Candidates	Elected	Percent	Rajyasabha (Women's %)
1952 I	444	51	22	4.9	7.3
1957 II	500	70	27	5.4	7.5
1962 III	503	68	34	6.7	7.6
1967 IV	523	66	31	5.9	8.3
1971 V	521	86	22	4.2	7.0
1977 VI	544	70	19	3.4	10.2
1980 VII	544	142	28	5.0	9.8
1984 VIII	544	159	44	7.7	11.4
1989 IX	525	189	27	5.3	9.7
1991 X	534	195	39	6.7	15.5
1996 XI	540	191	39	7.1	9.0
1998 XII	543	167	43	7.9	9.0
1999 XIII	538	247	47	8.7	9.0
2004 XIV	542	354	44	8.1	9.2

रश्मि श्रीवास्तव ने 'द इंडियन जर्नल आफ पौलिटिकल साइंस' में तथ्य उजागर किए है कि निर्णय निर्माण निकायों में गंभीर समस्याओं में महिलाओं की भागीदारी नाममात्र ही है। वास्तव में पूरे विश्व मे वे एक 'शांत अल्पसंख्यक' बनी हुई है और राजनीतिक जीवन में वे 'अकेलापन' और 'अलगाववादी' सा अनुभव करती है।29

ISBN : 978-81951728-5-6

उन्होंने आगे बताया कि यद्यपि महिलाएँ देश की कुल जनसंख्या की 50% हैं फिर भी देश की संसद में 10% से भी कम प्रतिनिधित्व रखती है। स्थानीय सरकारों, राजनीतिक दलों, टेªड यूनियनों एवं भारतीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया इत्यादि में महिलाओं की भागीदारी अत्यधिक कम है।

उन्होंने इन तथ्यों पर प्रकाश डाला हैं कि केन्द्र व राज्य सरकारों में मंत्री पद पर बहुत कम महिला नियुक्त की गई है।[30] इसे टेबिल के माध्यम से समझाया है।

Women Ministers in Centre and States

Year	Ministers in Centre	Ministers in States
1952	3	5
1957	3	12
1962	5	21
1967	5	10
1971	3	18
1977	2	22
1980	8	5
1984	5	10
1989	1	12
1991	5	15
1996	5	18
1998	6	18
1999	8	20
2004	7	22

सरकारों में कुछ विभाग महिला संबंधी विभाग के रूप में जाने जाते है- समाज कल्याण, परिवार कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं महिला व बाल विकास विभाग इत्यादि महिला मंत्रियों को नहीं दिए। इसके बजाय विदेश, वित्त, रक्षा, गृह विभाग, मानव संसाधन, कृषि, खाद्य विभाग जैसे अति महत्वपूर्ण विभाग महिला मंत्रियों को दिए। सरकारों द्वारा इस तरह के विभागों का वितरण महिला मंत्रियों के प्रति पक्षपात एवं भेदभाव को दर्शाता है।[31] इस प्रकार प्रत्येक स्थान पर महिलाएँ शोषण का शिकार है।

ISBN : 978-81951728-5-6

विकास का विश्लेषण करन पर यह देखा जाता है कि महिलाएँ हाशिये पर हैं अथवा अधीन है। विकास के फल उन तक नही पहुँचे है तो ऐसी स्थिति में हमें उन कारणों की जांच करनी चाहिए जो उनके विकास में बाधक है और उन्हें शोषित और पिछड़ेपन की स्थिति में रखता है। कोई भी नीतियों एवं निर्णय का क्रियान्वयन और विकास संभव ही नही है यदि नारी को नकारा जाए। यदि स्त्री-पुरूष के संबंध ऊँच-नीच, अधीनता-प्रधानता, छोटे-बड़े, शोषक और शोषित पर आधारित होगे तो तनाव, हिंसा और विभेद पैदा होगा।

निष्कर्ष

सदियों से चला आ रहा महिला उत्पीड़न कम नहीं हो रहा है। इसे कम करने हेतु सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा देना होगा। जब तक महिला स्वयं आंतरिक रूप सशक्त नहीं होगी तब तक उसे संविधान की धाराएँ, कानून, आयोग एवं अनेक योजनाएँ इत्यादि सशक्त नहीं बना सकते। डॉ. भीमराव अम्बेडकर के शब्दों में "मैं किसी समाज की प्रगति उस समाज की महिलओं द्वारा की गई प्रगति से आँकता हूँ।" कहने का तात्पर्य है कि अगर हम भारतवर्ष को वास्तव में महान बनाना चाहते है तो महिला के योगदान को महत्वपूर्ण स्थान देना होगा तथा महिला उत्पीड़न रोक कर उसे विकास में भागीदार बनाना होगा।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. *ऋग्वेद. ; 10/85/45, 1/164/133, 1/185/25*
2. *P.N. Prabhu ; Hindu Social Organization, P.258*
3. *Veena, Majumadar ; Symbol of Power ; P.8*
4. *चन्द्रावती, लखनपाल ; स्त्रियों की स्थिति, पृ.25*
5. *लवानिया, डॉ एम.एम. ; भारतीय महिलाओं का समाजशास्त्र, रिसर्च पब्लिकेशन्स, जयपुर, 2013, पृष्ठ 10*

ISBN : 978-81951728-5-6

6. *उपर्युक्त, पृष्ठ 12*
7. *M.N. Shrinivas, Caste in Modern India, P.12*
8. *जैन, डॉ. पुखराज, भारतीय राज व्यवस्था, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा, 2012, पृष्ठ 127*
9. *उपर्युक्त, पृष्ठ 128, भारत का संविधान*
10. *उपर्युक्त, पृष्ठ 128, भारत का संविधान*
11. *बासु, डॉ. दुर्गादास, भारत का संविधान, लेक्सिज नेक्सिज, 2013*
12. *भारत का संविधान*
13. *भारत का संविधान*
14. *भारत का संविधान*
15. *भारत का संविधान*
16. *भारत का संविधान*
17. *भारत का संविधान*
18. *लवानिया, डॉ एम.एम. ; भारतीय महिलाओं का समाजशास्त्र, रिचर्स पब्लिकेशन्स, जयपुर, 2013, पृष्ठ 116*
19. *डी.एम. चैधरी, द हिन्दू सेक्शन एक्ट, पृष्ठ 10-11*
20. *घरेलू हिंसा से महिलाओं को संरक्षण कानून 2005, पृष्ठ 1-10 एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं को संरक्षण कानून 2005, कानून व प्रक्रिया, हिन्दी अनुवाद, विविधा-महिला आलेखन एवं सन्दर्भ केन्द्र, जयपुर, 20.10.2007, पृष्ठ 1-41*
21. *कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न संबंधित मार्गदर्शिका, सिकोईडिकोन टोंक, उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देश, पृष्ठ 1-12*
22. *कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण कानून 2013) 23 अप्रेल, 2013, पृष्ठ 1-12*

ISBN : 978-81951728-5-6

23. दैनिक भास्कर, 20.08.2021

24. राजस्थान पत्रिका, 19.08.2021

25. लवानिया, डॉ. एम.एम. ; भारतीय महिलाओं का समाजशास्त्र, रिसर्च पब्लिकेशन्स, जयपुर, 2013, पृष्ठ 158

26. लवानिया, डॉ. एम.एम. ; भारतीय महिलाओं का समाजशास्त्र, रिसर्च पब्लिकेशन्स, जयपुर, 2013, पृष्ठ 167-168

27. लवानिया, डॉ. एम.एम. ; भारतीय महिलाओं का समाजशास्त्र, रिसर्च पब्लिकेशन्स, जयपुर, 2013, पृष्ठ 145 एवं 158

28. Rashmi Shrivastava, Minority Representation of a Political Majority Group ; Women in Indian Democratic Process, The Indian Journal of Poliical Science, Vol. LXXII, No. 2 April - June, 2011, P. 419

29. उपर्युक्त, पृष्ठ 409

30. उपर्युक्त, पृष्ठ 420

31. उपर्युक्त, पृष्ठ 414